न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 81 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 भगवती देवी उम्र 57 वर्ष पत्नी परसराम मोरदिया जाति मेघवंशी निवासी आनन्द नगर सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सांवरमल उम्र 47 वर्ष पुत्र श्योलाराम जाति बलाई निवासी रियावाली जोहड़ी तन रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।

2 लोटुराम उम्र 67 वर्ष पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर जरिये मुख्तयार सुनील कुमार कुमावत उम्र 26 वर्ष पुत्र छगन लाल जाति कुमावत निवासी ग्राम परडोल बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

3 परमेश्वरी उम्र 42 वर्ष पत्नी शिशुपाल चिरानिया जाति बलाई निवासिनी ग्राम भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

4 मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 42 सूर्यनगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

5 फूली उम्र 67 वर्ष पत्नी मघाराम।

6 ग्यारसी उम्र 57 वर्ष पत्नी भंवरलाल।

7 अशोक उम्र 27 वर्ष पुत्र भंवरलाल।

8 पिंटू उम्र 25 वर्ष पुत्र भंवरलाल

9 चन्द्रकला उम्र 22 वर्ष पुत्री भंवरलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10 सुशीला उम्र 21 वर्ष पुत्री भंवरलाल समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर।
11 ओमप्रकाश मोरदिया उम्र 44 वर्ष पुत्र बन्शी लाल मोरदिया जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 12 भैरूजी के मन्दिर के पास कारीगरो का मोहल्ला सीकर तहसील व जिला सीकर।
12 मोहनलाल उम्र 69 वर्ष पुत्र माधूराम जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर15 सीकर तहसील व जिला सीकर।
13 भंवरलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र झाबरमल जाति बलाई निवासी ग्राम बाजड़ोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2016 न्यायालय उखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी रामानन्द शर्मा आर.ए.एस. दावा संख्या 59/2016 बउनवानी सांवरमल बनाम फूली देवी आदि दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ

अपील संख्या 82/2018

1 भगवती देवी उम्र 57 वर्ष पत्नी परसराम मोरदिया जाति मेघवंशी निवासी आनन्द नगर सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बनाम

1 सांवरमल उम्र 47 वर्ष पुत्र श्योलाराम जाति बलाई निवासी रियावाली जोहड़ी तन रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।

2 लोठुराम उम्र 67 वर्ष पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर जरिये मुख्तयार सुनील कुमार कुमावत उम्र 26 वर्ष पुत्र छगन लाल जाति कुमावत निवासी ग्राम परडोल बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

3 परमेश्वरी उम्र 42 वर्ष पत्नी शिशुपाल चिरानिया जाति बलाई निवासिनी ग्राम भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

4 मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 42 सूर्यनगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

5 फूली उम्र 67 वर्ष पत्नी मघाराम।

6 ग्यारसी उम्र 57 वर्ष पत्नी भंवरलाल।

7 अशोक उम्र 27 वर्ष पुत्र भंवरलाल।

8 पिंटू उम्र 25 वर्ष पुत्र भंवरलाल

9 चन्द्रकला उम्र 22 वर्ष पुत्री भंवरलाल।

10 सुशीला उम्र 21 वर्ष पुत्री भंवरलाल समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर।

11 ओमप्रकाश मोरदिया उम्र 44 वर्ष पुत्र बन्शी लाल मोरदिया जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 12 भैरूजी के मन्दिर के पास कारीगरो का मोहल्ला सीकर तहसील व जिला सीकर।

12 मोहनलाल उम्र 69 वर्ष पुत्र माधूराम जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर15 सीकर तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

13 भंवरलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र झाबरमल जाति बलाई निवासी ग्राम बाजड़ोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अन्तिक्र डिकी व निर्णय दिनांक 25.06.2018 न्यायालय उखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी जुही भार्गव आर.ए.एस. दावा संख्या 59/2016 बउनवानी सांवरमल बनाम फूली देवी आदि दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भरत बाजिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.01.2019

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दावा संख्या 59/2016 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2016 एवं

अंतिक डिक्री 2506.2018 के विरूद्व अलग–अलग प्रस्तुत हुई है दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने ग्राम नानी तहसील जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1269/783 रकबा 1.11 हैक्टेयर के सन्दर्भ में दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 08.07.2016 से प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 25.06.2018 से अंतिम डिक्री पारित की है। जिससे व्यथित होकर यह दोनों अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वर वक्त बहस विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण उभयपक्ष को सुनकर पुन निर्णय हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट/वादी ने इस पर सहमती जाहिर की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है उभयपक्ष की सहमती के आधार पर गुणावगुण पर विवेचन किये बिना दोनों अपीले स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर

प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

21.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर